



# राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

बांदरसिंदरी, एन.एच. 8, तहसील-किशनगढ़, जिला-अजमेर राजस्थान – 305817

विज्ञापन: आर/एफ.131/2021/1624

दिनांक: 21.10.2021

## शुद्धि-पत्र

विषय:- विज्ञापन सं. 1196 दिनांकित 10-09-2021 द्वारा जारी किये गये सह आचार्य (01 अनुसूचित जाति (बैकलॉग) तथा 01 अन्य पिछड़ा वर्ग (बैकलॉग)), शिक्षा विभाग के पदों की न्यूनतम पात्रता मानदंड में संशोधित करने के संबंध में

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक पदों हेतु रोलिंग विज्ञापन संख्या विज्ञापन सं. 1196 दिनांकित 10-09-2021 द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गये थे।

उपरोक्त विज्ञापन के सह आचार्य (01 अनुसूचित जाति (बैकलॉग) तथा 01 अन्य पिछड़ा वर्ग (बैकलॉग)), शिक्षा विभाग की संशोधित न्यूनतम पात्रता निम्नानुसार मानदंड पढ़ा जाये।

मौजूदा न्यूनतम पात्रता मानदंड	संशोधित न्यूनतम पात्रता मानदंड
1. विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो।	1. विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो।
2. न्यूनतम 50% अंकों के साथ शिक्षा (एजुकेशन) में स्नातकोत्तर (एम.एड/एम.ए. एजुकेशन) उपाधि प्राप्त की हो।	2. न्यूनतम 50% अंकों के साथ शिक्षा (एजुकेशन) में स्नातकोत्तर (एम.एड/एम.ए. एजुकेशन) उपाधि प्राप्त की हो।
3. शिक्षा (एजुकेशन) अथवा विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित विषय में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की हो।	3. शिक्षा (एजुकेशन) अथवा विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित विषय में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की हो।
4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सहायक आचार्य /सह आचार्य / आचार्य के रूप में कम से कम आठ वर्षों का शैक्षणिक अनुभव, और/या विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डॉक्टोरल अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का साक्ष्य हो।	4. किसी शैक्षणिक/अनुसंधान पद पर शिक्षण और / अथवा अनुसंधान में न्यूनतम आठ वर्षों का अनुभव जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान / उद्योग में सहायक आचार्य के समान हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम सात प्रकाशन हो और यूजीसी विनियम, 2018, परिशिष्ट II, तालिका 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार अनुसंधान में कुल पचहत्तर (75) अंकों के अनुसंधान प्राप्तांक अर्जित किए हों।
5. समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम सात प्रकाशन हो और यूजीसी विनियम, 2018, परिशिष्ट II, तालिका 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार अनुसंधान में कुल पचहत्तर (75) अंकों के अनुसंधान प्राप्तांक हों।	

कुलसचिव



# CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN

Bandarsindri, NH-8, Tehsil Kishangarh, Ajmer (Raj.)-305817

CURAJ/R/F.131/2021/1624

Date: 21.10.2021

## CORRIGENDUM

**Subject:** Regarding modifying the minimum eligibility criteria for the post of Associate Professor (01-SC (Backlog) and 01-OBC (Backlog)), Department of Education against the Rolling Advt. No. 1196 dated 10.09.2021.

The University has advertised Rolling Advertisement for various teaching positions through online mode vide Advt. No. 1196 dated 10.09.2021.

The revised minimum eligibility criteria for the post of Associate Professor (01-SC (Backlog) and 01-OBC (Backlog)), Department of Education may be read as under.

Existing Minimum Qualification	Revised Minimum Qualification
1. Postgraduate degree with minimum 50% marks in the discipline relevant to the area of specialization.	1. Postgraduate degree with minimum 50% marks in the discipline relevant to the area of specialization.
2. Postgraduate degree in Education (M.Ed/M.A. Education) with minimum 50% marks.	2. Postgraduate degree in Education (M.Ed/M.A. Education) with minimum 50% marks.
3. Ph.D. degree in Education or in the discipline relevant to the area of specialization.	3. Ph.D. degree in Education or in the discipline relevant to the area of specialization.
4. A minimum of eight years of teaching experience in university/college as Assistant Professor/Associate Professor/Professor, and / or research experience at equivalent level at the University/National Level Institutions with evidence of having successfully guided doctoral candidate.	4. A minimum of eight years of experience of teaching and / or research in an academic/research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research Institution/industry with a minimum of seven publications in the peer-reviewed or UGC-listed journals and a total research score of Seventy five (75) as per the criteria given in UGC Regulations, 2018, Appendix II, Table 2.
5. A minimum of seven publications in the peer-reviewed or UGC-listed journals and a total research score of Seventy five (75) as per the criteria given in UGC Regulations, 2018, Appendix II, Table 2.	

Registrar